बिहार सरकार
उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना सं0–2680 दिनांक 10.06.2022 के द्वारा श्री विटेश्वर नाथ पाण्डेय की नियुक्ति जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रोहतास में सदस्य के पद पर की गयी थी। अधीक्षक, मद्यनिषेध, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक 1414 दिनांक 30.04.2025 द्वारा सूचित किया गया था कि दिनांक 29.04.2025 को श्री पाण्डेय को शराब के साथ पकड़ा गया एवं गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

तदालोक में उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्त्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 की कंडिका–8 में वर्णित प्रावधानों के तहत श्री विटेश्वर नाथ पाण्डेय, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रोहतास की सेवा दिनांक 29.04.2025 से समाप्त की जाती है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(विभूति रंजन चौधरी)
निदेशक–सह–विशेष सचिव,
उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–खाद्य (निदे0) प्र0–I–60/2025 खाद्य, पटना/दिनांक
प्रतिलिपिः–प्रभारी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–खाद्य (निदे0) प्र0–I–60/2025 खाद्य, पटना/दिनांक
प्रतिलिपिः–निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, रोहतास/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/वरीय कोषागार पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)/श्री विटेश्वर नाथ पाण्डेय, ''अमृतालय'' पुराना पुलिस लाईन, आरा, जिला–भोजपुर, पिन–802301 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–खाद्य (निदे0) प्र0–I–60/2025 1116 खाद्य, पटना/दिनांक 19/06/2025
प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/6/25
निदेशक–सह–विशेष सचिव।